न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 62/2019

निर्णय दिनांक 14.11.2019

जालुसिंह पुत्र धनेसिंह राजपूत निवासी नोसरिया तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------प्रार्थी

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

-----अप्रार्थी

उपस्थिति–

1. श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र जालुसिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 99 रकबा 21.92 हैक्टयर रोही नोसरिया तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित था । जिसका पारिवारिक विभाजन दिनांक 9.2.2013 को पारिवारिक विभाजन तहसीलदार श्री डूँगरगढ के समक्ष आपसी सहमती से किया गया । जिसमें खेत खसरा नम्बर 99 मिन की 12.1300 हैक्टयर प्रार्थी के हिस्सा पांति में प्रार्थी की हिस्सा पांति में पश्चिम तरफ की आई एवं उक्त सविभाजन में प्रार्थी के हिस्सा पांति के नये खसरा नम्बर 279/99 रकबा 12.1300 हैक्टयर कायम किये गये । प्रार्थी के हिस्सा में आये खसरा नम्बर 278/99 की भूमि का नक्शा तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा सही माप तोल करके नक्शा तरमीम कर प्रार्थी का रकबा 12.1300 हैक्टयर पूरा दर्शा दिया परन्तु मौके की भौतिक रूप से नाम नहीं किया गया । जिस कारण प्रार्थी का रकबा मौके पर कम है । प्रार्थी ने माह मई 2018 में तहसीलदार, श्री डूँगरगढ के समक्षा अपने खातेदारी खेत की पैमाईश करवाने के लिये आवेदन किया तो तहसीलदार, श्री डूँसगरगढ ने हल्का पटवारी धर्मास को आदेश क्रमांक भू अ/2018/3 दिनांक 3.5.2018 के द्वारा प्रार्थी के खेत की पैमाईश करने का आदेश दिया एवं हल्का पटवारी धर्मास ने तहसीलदार श्री डूँगरगढ के उक्त आदेश दिनांक 3.5.2018 की पालना में दिनांक 26.6.2018 को भू अभिलेख निरीक्षक को साथ लेकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 278/99 रोही नोसरिया की पैमाईश करने हेतु पहुंचा । मौके पर प्रार्थी स्वयं मौजूद था । प्रार्थी के खेत का माप किया तो मौके पर प्रार्थी की भूमि कम पाई गई तथा खेत पडौसियों ने माप करने से मना कर दिया । जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई कि "आज दिनांक 26.6.2018 को मुताबिक आदेश तहसीलदार श्री डूँगरगढ क्रमांक भू. अ./2018/3 दिनांक 3.5.2018 की पालना में रोही ग्राम नोसरिया की खसरा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 278/99 पर पहुंचा । पटवारी हल्का व ग्राम मुखियान व खेत पडौसियान की उपस्थिति में खसरा नम्बर 278/99 की पैमाईश की उक्त खसरा नम्बर 278/99 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के जालुसिंह पुत्र धन्नेसिंह की खातेदारी भूमि है । खसरा नम्बर 279/99 का रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 12.1300 हैक्टयर है । मौके पर नाम जोख करने पर 9.90 हैक्टयर रकबा ही आता है । इस प्रकार खसरा नम्बर 278/99 का रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 12.1300 हैक्टयर है । मौके पर नाप जोख करने पर 9.90 हैक्टयर रकबा ही आता है । इस प्रकार खसरा नम्बर 278/99 में कुल 2.23 हैक्टयर कम होता है ।" पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं बताया कि प्रार्थी का रकबा किस तरफ के खेत पडौसी ने दबा रखा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अपने खेत की पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवाने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है । तहसीलदार राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने एवं तहसीलदार, श्री डूँगरगढ के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पैमाईश की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है । इसलिए स्टेट आवश्यक पक्षकार है । वर्णित खेत रोही ग्राम नोसरिया तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 278/99 रकबा 12.1300 हैक्टयर रोही ग्राम नोसरिया तहसील श्री डूँगरगढ की पैमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्टेट ने प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों को स्वीकार कर निवेदन किया है कि वर्तमान नक्शे के आधार पर उक्तानुसार पत्थरगढी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 278/99 रकबा 12.1300 हैक्टयर रोही ग्राम नोसरिया तहसील श्री डूँगरगढ की पैमाईश प्रार्थी के व्यय पर करवाई जाकर पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को प्रदान किये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें ।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 11:54:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: